

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-178/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० प्रदीप कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली खड़गपुर, मुंगेर द्वारा दिनांक 01.03.2023 से 02.03.2023, दिनांक 03.06.2023 एवं दिनांक 16.08.2023 से 20.08.2023 तक को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2557(25), दिनांक 08.12.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है:-

1	दिनांक 01.03.2023 से 02.03.2023 तक	-	कुल 02(दो) दिन उपाजित अवकाश।
2	दिनांक 03.06.2023 को	-	कुल 01(एक) दिन उपाजित अवकाश।
3	दिनांक 16.08.2023 से 20.08.2023 तक	-	कुल 05(पाँच) दिन उपाजित अवकाश।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/ एल-178/2025- 204 (2) पटना, दिनांक 3/2/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, खड़गपुर, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/डा० प्रदीप कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली खड़गपुर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

WfamaK212126
सरकार के उप सचिव।